

सं.सं0-7/जिला चिकित्सा पदा0-19-01/2018- 27(7)A  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

101

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,  
गया।

पटना, दिनांक : 05-9-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पितृपक्ष मेला 2018 हेतु अन्य इकाईयो में कुल ₹9,00,000/- (नौ लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश संख्या- 12 (7)ब दिनांक- 12.06.18 एवं 24(7)ब दिनांक-23.07.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पितृपक्ष मेला 2018 हेतु अन्य इकाईयो में कुल ₹9,00,000/- (नौ लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरण संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।


8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वसमाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

27/9

ज्ञापांक : 27(7) ९

पटना, दिनांक : ०5-9-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबन्धित प्रमंडलीय आयुक्त / संबन्धित जिला पदाधिकारी / संबन्धित कोषागार पदाधिकारी / संबन्धित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव  
रती

100

- 3 -  
विवरणी

विपत्र कोड-20-2210010010002

| क्रम | जिला का नाम | कार्यालय व्यय (13-01) | वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02) | दवा भंडार (21-02) | कुल योग |
|------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1    | 2           | 3                     | 4                                | 5                 | 6       |
| 1    | गया         | 50000                 | 50000                            | 800000            | 900000  |
|      | कुल         | 50000                 | 50000                            | 800000            | 900000  |

(नौ लाख रू०)

*[Handwritten Signature]*

सरकार के विशेष सचिव

*[Handwritten Signature]*

उपबंध की स्थिति

| क्रमांक | प्राथमिक इकाई एवं कोड                 | बजट उपबंध | पूर्व में आवंटित | वर्तमान आवंटित | कुल आवंटित | अवशेष राशि |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|
| 1       | 2                                     | 3         | 4                | 5              | 6          | 7          |
| 1       | वेतन (0002-01-01)                     | 520013000 | 228500000        | 0              | 228500000  | 291513000  |
| 2       | जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)          | 52001000  | 22850000         | 0              | 22850000   | 29151000   |
| 3       | मकान किराया भत्ता (0002-01-04)        | 74474000  | 37675000         | 0              | 37675000   | 36799000   |
| 4       | परिवहन भत्ता (0002-01-05)             | 4112000   | 1600000          | 0              | 1600000    | 2512000    |
| 5       | विक्रिसा भत्ता (0002-01-06)           | 10260000  | 4438000          | 0              | 4438000    | 5822000    |
| 6       | अन्य भत्ता (0002-01-07)               | 38640000  | 19021500         | 0              | 19021500   | 19618500   |
| 7       | त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)           | 500000    | 0                | 0              | 0          | 500000     |
|         | योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन       | 700000000 | 314084500        | 0              | 314084500  | 385915500  |
| 8       | विक्रिसा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)     | 1000000   | 0                | 0              | 0          | 1000000    |
| 9       | यात्रा व्यय (0002-11-01)              | 2500000   | 1171000          | 0              | 1171000    | 1329000    |
| 10      | कार्यालय व्यय (0002-13-01)            | 5000000   | 2091000          | 50000          | 2141000    | 2859000    |
| 11      | वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0002-13-02) | 3000000   | 1650000          | 50000          | 1700000    | 1300000    |
| 12      | दूरभाष (0002-13-03)                   | 300000    | 133000           | 0              | 133000     | 167000     |
| 13      | विद्युत प्रभार (0002-13-04)           | 6550000   | 4680000          | 0              | 4680000    | 1870000    |
| 14      | विधि प्रभार (0002-13-05)              | 2000000   | 950000           | 0              | 950000     | 1050000    |
| 15      | दर्दी/ पोषाक (0002-13-06)             | 300000    | 148000           | 0              | 148000     | 152000     |
| 16      | किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)      | 1110000   | 532000           | 0              | 532000     | 578000     |
| 17      | प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)           | 2500000   | 0                | 0              | 0          | 2500000    |
| 18      | सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)    | 1500000   | 760000           | 0              | 760000     | 740000     |
| 19      | दवा भंडार (0002-21-02)                | 2400000   | 1500000          | 800000         | 2300000    | 100000     |
| 20      | अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)      | 1000      | 0                | 0              | 0          | 1000       |
| 21      | सविदा सेवाएँ (0002-28-02)             | 2000000   | 950000           | 0              | 950000     | 1050000    |
| 22      | मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)         | 1000      | 0                | 0              | 0          | 1000       |
|         | कुल योग:-                             | 730162000 | 328649500        | 900000         | 329549500  | 400612500  |

27(7)A

05-9-18

*[Handwritten Signature]*

सरकार के विशेष सचिव

*[Handwritten Signature]*